पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

CIRCULAR

Circular no: PFRDA/2023/14/SUP-ASP/02 10th May, 2023

To
All NPS Stake Holders

Subject: Retirement Income Optimization through Multiple Annuities

Under NPS, the immediate annuities are made available to the subscribers by Annuity Service Providers (ASPs) under the enabling provisions of Exit Regulations of PFRDA. At present, the subscribers are allowed to buy one annuity scheme from the ASP at the time of exit.

2. In the interest of subscribers' retirement income optimization and to provide them with a wider range of annuity options, PFRDA is pleased to inform that the choice of multiple annuities from the same ASP will be made available.

3. The option of multiple Annuities shall be provided for those *Subscribers who earmark the annuity corpus more than Rs 10 lakhs wherein Rs 5 lakhs utilized to buy each annuity scheme*.

4. In this regard, CRAs are advised to build the necessary system-level functionality to facilitate the implementation of this change. Until this feature is developed, ASPs can handle the requests for multiple annuities received from subscribers and provide the necessary information to CRA through *Reverse Information Flow* (RIF).

PFRDA believes that this change will greatly benefit subscribers by providing them with a wider range of annuity options and optimizing their retirement income.

Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2023/14/एसयूपी- एएसपी /02 मार्च 10, 2023

प्रति,
सभी एनपीएस हितधारक

विषय : एकाधिक वार्षिकियों के माध्यम से सेवानिवृत्ति आय का अनुकूलन

एनपीएस के अंतर्गत, अभिदाताओं को पीएफआरडीए के निकास विनियम के प्रावधानों के तहत वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (ASP) द्वारा तत्काल वार्षिकियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस समय, अभिदाताओं को निकासी के दौरान ASP से एक वार्षिकी योजना क्रय करने की अनुमति दी गयी है।

2. पीएफआरडीए द्वारा यह सूचित किया जाता है कि एक ही ASP से एकाधिक वार्षिकियों का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति आय अनुकूलन के हित में और उन्हें वार्षिकी विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए लिया गया है।

3. एकाधिक वार्षिकियों का विकल्प उन अभिदाताओं को प्रदान किया जाएगा जो 10 लाख से अधिक का वार्षिकी कोष निर्धारित करते हों तथा जिसमें प्रत्येक वार्षिकी योजना के क्रय हेतु 5 लाख का उपयोग किया जाता हो।

4. इस संबंध में, CRA को सलाह यह दी जाती है कि वे इस बदलाव को सुविधाजनक तरीके से कार्यान्वित करने के लिए जरूरी प्रणालीगत कार्यक्षमता का निर्माण करें। इस सुविधा के पूरी तरह विकसित होने तक, अभिदाताओं से प्राप्त होने वाले एकाधिक वार्षिकी अनुरोधों को ASP द्वारा संभाला जा सकता है और रिवर्स इंफॉर्मेशन फ्लो (RIF) के माध्यम से CRA को आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सकती है।

पीएफआरडीए का विश्वास है कि इस बदलाव से अभिदाताओं को वार्षिकी विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलेगी और उनकी सेवानिवृत्ति आय का अनुकूलन होगा जो उनके लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

मुख्य महाप्रबंधक